शासनादेष संख्या 556/43–2–2008–15/2(3)2007, टी0सी0 दिनांक 06 जून, 2008 का संलग्नक

विभाग का नाम : सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेष ।

क्रम सं0	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन /अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक निगम/उपक्रम/परिषद/बोर्ड संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर मैनुअर की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, बिजनौर	ूण्पकनचण्हवअण्पद;पद्ध	शून्य	लागू नहीं

(एस.सी. गर्ग)
सहायक जन सूचना अधिकारी/
सहायक अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4,
बिजनौर

(सोरण सिंह)
जन सूचना अधिकारी/
अधिषासी अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4,
बिजनौर

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4, बिजनौर
जनसूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं की सूचना

क्रमांक	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विषिष्टियों, कृत्य और कर्तव्यय,	जनपद बिजनौर मे कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा नहरों के निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जा रहे है तथा खरीफ 1416 फसली में निर्मित नहरों को चलाकर कृषकों को सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियो और कर्तव्य,	इस कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तर प्रदेष राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शासकीय कार्यो का निर्वहन करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षक और उत्तदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जनपद बिजनौर मे अधीक्षण अभियन्ता, अधिषासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता पदों पर पदस्थापित अधिकारी पर्यवेक्षण का कार्य करते है तथा अन्य समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारी निर्धारित कार्य सम्पन्न करते है। इस खण्ड का कार्यालय मध्य गंगा नहर कालोनी, बैराज रोड, बिजनौर के अन्तर्गत स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान,	अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिषासी अभियन्ता के पद सृजित है जिनके नियंत्रण में रह कर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेष, निर्देषिका और अभिलेख,	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राजकीय विनियम के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।	निर्माण कार्य, राजस्व कार्य तथा अधिष्ठान सम्बन्धी दस्तावेज कार्यालय मे उपलब्ध है तथा कार्यालय का नियंत्रण अधिषासी अभियन्ता में निहित है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्ष या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है,	जनपद मे प्रत्येक माह के द्वितीय वुधवार को सिंचाई बन्धु बैठक का आयोजन होता है जिसमें लोक सदस्यों के साथ परामर्ष एवं उनके द्वारा उठाई गयी समस्याओ का समाधान किया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य	प्रत्येक माह सिंचाई बन्धु बैठक का आयोजन

	निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है,	होता है जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित जनप्रतिनिधि भाग लेते है तथा इस बैठक की कार्यवृति नोडल अधिकारी/ अधिषासी अभियन्ता नलकूप खण्ड बिजनौर द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देषिका,	इस कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिष्चित करते है तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देषों का पालन करते है।

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमि, जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो,	विभागीय निर्देषों के अनुपालन मे मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई सम्बन्धी एवं नहरों के चलने की सूचना साप्ताहिक तथा दैनिक उच्चधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोटो की विषिष्टियों उपदर्षित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट,	इस कार्यालय में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नहर निर्माण तथा नहरें के अनुरक्षण मे धन उपलब्ध कराया जाता है जिसका उपयोग नियमानुसार करते हुये प्रत्येक माह के व्यय एवं प्रगति का विवरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंवटित राषि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्मिलित है,	नहर निर्माण एवं अनुरक्षण के कार्य निविदायें आंमत्रित कर अनुबन्ध के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते है तथा अपरिहार्य स्थिति में कार्यदेष के माध्यम से भी कार्य सम्पन्न किये जाते है जिनके द्वारा किये गये व्यय एवं प्रगति का विवरण उच्चाधिकारियों को प्रत्येक माह प्रेषित किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की प्रविष्टियॉ	शासन एवं विभागीय निर्देषों के अनुपालन मे प्रत्येक माह कार्यो के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नहर निर्माण हेतु भूमि के बैनामें विभागीय हित मे करने तथा चलित नहरों मे कटिंग एवं बन्दें न लगाकर सिचांई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु समझाया जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध मे ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो,	इस कार्यालय द्वारा समस्त सूचनायें संकलित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । आवष्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से भी प्रचार प्रसार कराया जाता है।

15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विषिष्टियॉ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है,	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विषिष्टियॉ	इस कार्यालय हेतु जनसूचना अधिकारी श्री सोरण सिंह अधिषासी अभियन्ता एवं सहायक जन सूचना अधिकारी श्री एस.सी. गर्ग सहायक अभियन्ता नामित है तथा इन दोनो अधिकारियों का कार्यालय बिजनौर में है।

(एस.सी.गर्ग)
सहायक जन सूचना अधिकारी
सहायक अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4,
बिजनौर

(सोरण सिंह)
जन सूचना अधिकारी
अधिषासी अभियन्ता
पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड–4,
बिजनौर